

1  
कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला बीजापुर (छ.ग.)

--: निविदा विज्ञप्ति :-

क्रमांक / ~~397~~ / कले. / भू.अ. / लेखा / 2019

बीजापुर, दिनांक 05/09/2019

बीजापुर जिले के मिसल अभिलेखों का स्कैनिंग, इन्डेक्सिंग एवं बारकोडिंग कार्य हेतु निम्नानुसार निविदा आमंत्रित किया जाता है।

कार्य का विवरण		
1	नक्शा 24"X30 बंदोबस्त नक्शों की स्कैनिंग, इन्डेक्सिंग एवं बारकोडिंग	
2	मिशल बंदोबस्त/अधिकार अभिलेख/निस्तार पत्रक की इन्डेक्सिंग एवं बारकोडिंग	
1	2	3
1	निविदा प्रपत्र मूल्य	500.00
2	निविदा प्रपत्र बिक्री दिनांक प्रकाशन तिथि से	09/09/2019 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक
3	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	23/09/2019 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक
4	निविदा खोलने की तिथि	24/09/2019 संध्या 4:00 बजे

पृ.क्रमांक / ~~397A~~ / कले. / भू.अ. / लेखा / 2019  
प्रतिलिपि :-

बीजापुर, दिनांक 05/09/2019

1. सहायक संचालक जन संपर्क, जिला बीजापुर की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
2. जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी (NIC) जिला बीजापुर की ओर जिला-बीजापुर के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

# कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला बीजापुर (छ.ग.)

## निविदा पत्रक

क्रमांक / 398/ कले. / भू.अ. / लेखा / 2019

बीजापुर, दिनांक 05/08/2019

कार्यालय की निविदा विज्ञप्ति क्रमांक / 397/ कले. / भू.अ. / लेखा / 2019 बीजापुर, दिनांक 05/08/2019 के द्वारा बीजापुर जिले के जिला अभिलेखागार में रखे गए पुराने मिलस अभिलेख एवं नक्शों का स्कैनिंग, इन्डेक्सिंग एवं बारकोडिंग करने हेतु निविदा की निम्नलिखित शर्तें लागू की जाती हैं :-

1. निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट / एड / स्पीड पोस्ट अथवा पी0एन0टी0 विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा प्राप्त की जावेगी। निविदा कार्यालयीन अवधि में निर्धारित टेण्डर बॉक्स में डाली जा सकती है।
2. निविदा पत्र दिनांक 09/09/2019 तक समय अपरान्ह 12:00 बजे तक विक्रय की जावेगी। (निविदा शुल्क 500.00 रुपये) निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23/09/2019 को अपरान्ह 3.00 बजे तक होगी। निविदा पत्र दिनांक 24/09/2019 को दोपहर 4:00 बजे जिला कार्यालय बीजापुर में खोली जावेगी। जिसमें निविदाकर्ता या उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।
3. निविदा हेतु सुरक्षा निधि के रूप में 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्रॉपट / टी0डी0आर0 / एफ0डी0आर0 जो कलेक्टर बीजापुर के नाम से देय हो संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। सुरक्षा निधि की राशि संलग्न नहीं होने पर प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम लिफाफे में प्रपत्र (1) से संबंधित अभिलेख तथा संस्था का वाणिज्यकर प्रमाण-पत्र, पैन नम्बर, समाशोधन प्रमाण-पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, सुरक्षा निधि की राशि या उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र रखा जावेगा तथा दूसरे लिफाफे में प्रपत्र (2) सामग्री का मूल्य कथन पत्रक (निविदा पत्र) रखकर तदनुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जावेगा।

क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम लिफाफे (प्रपत्र-1) को खोला जावेगा। वांछित अभिलेख पूर्ण होने पर ही दूसरा लिफाफा अर्थात् मूल्यकथन पत्रक (प्रपत्र-2) खोला जावेगा। प्रथम लिफाफे पर वांछित दस्तावेज नहीं होने पर संबंधित को अपात्र करते हुए मूल्यकथन पत्रक नहीं खोला जावेगा एवं उस निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।

5. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी वह नहीं खोली जायेगी। तथा वापस लौटा दी जायेगी। निविदा वापस करते समय निविदा के बंद लिफाफे पर निविदा लौटाने के तिथि व समय अंकित किया जावेगा।

6. सशर्त निविदायें स्वीकार्य नहीं की जावेगी।

7. निविदादाताओं को फर्म ने आयकर अदा किया है एवं उस पर कोई बकाया नहीं है इस आशय का समाशोधन प्रमाण-पत्र प्रदायकर्ता का व्यापारिक संस्थान वहां स्थित है का प्रमाण-पत्र प्रथम लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य होगा।

Krishna




(7.1) सामग्री हेतु प्रस्तावित दर में समस्त कर, लोडिंग/अनलोडिंग एवं परिवहन दर शामिल होगा।

(7.2) सामग्री की दरे अनुमोदित होने पर प्रथम दर अनुमोदित संस्थान एवं द्वितीय दर अनुमोदित न्यूनतम संस्थान की सुरक्षा निधि राशि रोककर शेष संस्थाओं की सुरक्षा निधि राशि तत्काल वापस कर दी जावेगी।

8. निविदाकर्ता को सामग्री का परिवहन करना होगा। जिसके लिए पृथक से राशि का भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।

9. कार्यादेश जारी होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में सामग्री परिवहन/प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समयावधि में आपूर्ति/परिवहन नहीं किया जाता है तो अर्थदण्ड अधिरोपित की जावेगी।

10. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बंधनकारी होगा।

  
कलेक्टर  
जिला-बीजापुर